

स्थान/PO. सा. के राज्य कार्य में
व्यस्त होने से जनरल जारीख पेशी में
गई गत आदेश की पालना में परमावली
दिनांक 22/9/22 को पेश हो।

हस्ताक्षर राजेंद्र

22/9/22

वकील उमरपक्ष उपरी तहसीलदार राजारंज
को कुरैनात प्रस्ताव हेतु समाजपत्र
जारी हो मन्ना. डि. 13/10/22 को
पेश हो

13/10/22

वकुलाय उपरी काना. वास्ते इंतजार कुरैनात
प्रस्ताव डि. 3/11/22 को पेश हो

03/11/22

वकुलाय उपरी तहसीलदार राजारंज से कुरैनात
प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं परमावली वास्ते
इंतजार कुरैनात प्रस्ताव प्राप्त होने डि. 12/11/22
को राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हो

12/11/22

परमावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश
हुई। तहसीलदार राजारंज से कुरैनात प्रस्ताव
प्राप्त हुये। कुरैनात प्रस्ताव पर उमरपक्षकारान
के वकील ने अपनी सहमति दी। अतः राष्ट्रीय
लोक अदालत की भावना से वाका अतिरूप से
डिक्री किया जाता है निर्णय धूपन से लिखाया
गया। परमावली केसल शुभा. चोकर दाखिल हुये

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी
राजारंज (धौलपुर)
राष्ट्रीय लोक अदालत